उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल
फौजदारी पुनरीक्षण संख्या 178 वर्ष 2015

अनिल शर्मा .....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य .....प्रतिवादी

उपस्थितः

श्री गौरव सिंह पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता।

श्री एस0टी0 भारद्वाज, डिप्टी ए0जी0 सहित सुश्री शिवांगी गंगवार संक्षिप्त धारक राज्य की ओर से।

माननीय लोकपाल सिंह, जे.

यह आपराधिक पुनरीक्षण विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रैणी)/दितीय अपर सिविल जज (सी0डि) हरिद्वार द्वारा दिनांक 20.10.2014 को फौजदारी वाद संख्या 1267 वर्ष 2014 ''राज्य बनाम अनिल शर्मा ''में पारित निर्णय और आदेश के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता को भा0द0सं0 की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया गया और उपरोक्त धारा के तहत डिफॉल्ट शर्त के साथ 1,000/– रुपये (केवल एक हजार रुपये) के जुर्माने के साथ एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। दिनांक 20.10.2014 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने फौजदारी अपील संख्या 155/2014 द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार के समक्ष अपील

दायर की, जिसे भी आदेश दिनांक 16.05.2015 द्वारा खारिज कर दिया गया, इसलिए इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण योजित की गयी है।

2. अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि 26.04.2011 को लगभग 12 बजे जब शिकायतकर्ता नाम छुपाया गया पीडब्ल्यू–1 ''मेला अस्पताल'' में डॉक्टर के केबिन में अपनी आंखों के इलाज के लिए गया तो आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता वहां बैठा था। इसके बाद आरोपी/पुररीक्षणकर्ता ने उसकी आंखों की जांच शुरू कर दी और शिकायतकर्ता के चश्मे को देखकर आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता ने कहा कि दोनों चश्में खराब हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका चश्मा बदला और इसी दौरान आरोपी/पुनरीक्षाकर्ता ने शिकायतकर्ता के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। जब शिकायतकर्ता ने इस घटना की जानकारी डॉक्टर खान को दी तो डॉक्टर खान ने कहा कि आरोपी/पुनरीक्षण्कर्ता कोई डॉक्टर नहीं बल्कि वह नेत्र चिकित्सक के साथ बैठने वाला टैक्नीशियन है। इस घटना से शिकायतकर्ता मानसिक रूप से परेशान है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इसकी लिखित सूचना संबंधित थाने को दी है। इस लिखित सूचना के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 354 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 153/2011 पंजीकृत किया गया है तथा विवेचना के बाद अनिल शर्मा/पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल किया गया है।

3. अपराध से इनकार करने पर अभियोजन पक्ष ने चार गवाह, पीडब्ल्यू–1 (नाम छिपाया गया), शिकायतकर्ता पीडब्ल्यू–2 एस आई

गजेन्द्र सिंह, पीडब्ल्यू–3 कांस्टेबिल सूरवीर सिंह और पीडब्ल्यू–4 डॉ एस एन खान को परीक्षित कराया है।

4. विचारण न्यायालय ने पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात, दिए गए निर्णय और आदेश के तहत आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता को उपरोक्त के अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई गयी। व्यथित होकर अभियुक्त/पुनरीक्षणकर्ता अनिल शर्मा ने द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार के समक्ष अपील दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया है। इसलिए इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका योजित की गयी है।

5. अभियुक्त/पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क को केवल सजा की मात्र तक ही सीमित रखेंगे। उनका तर्क था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.05.2011 को पंजीकृत की गयी थी और तब से पुनरीक्षणकर्ता को उसके विरूद्ध आपराधिक मामले की लम्बितता के कारण लगातार मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। उसके विरूद्ध कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं है, उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया है कि पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त को दी गई सजा को उसके द्वारा पहले ही भुगती गई अवधि तक कम किया जा सकता है।

6. अभिलेख पर मौजूद सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध भा0द0सं की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। विचारण न्यायालय ने उसे उपरोक्त धारा के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया है। हालांकि सजा के बिंदु पर पुनरीक्षणकर्ता के वकील का कहना है कि घटना वर्ष

2011 की है और तब से 9 वर्ष बीत चुके है और अब पुनरीक्षणकर्ता को जेल भेजने से उसे बहुत कठिनाई होगी। इसलिए अपीलकर्ता को दी गई सजा को उसके द्वारा पहले ही भुगती गई अवधि तक कम किया जा सकता है।

7. सजा के प्रश्न पर पुनरीक्षण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने के साथ–साथ नरेश (सुप्रा)के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए आपराधिक पुनरीक्षण की पुष्टि करते हुए इसका निपटारा किया जाता है। उपरोक्त धारा के तहत विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता की दोषसिद्धि दर्ज की गई है लेकिन सजा को उसके द्वारा पहले ही भुगती गई अवधि तक कम कर दिया गया है।

8. इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन हेतु संबंधित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित किया जाए।

9. अवर न्यायालय का अभिलेख भी संबंधित न्यायालय को वापस प्रेषित किया जाए।

नितेश/

(लोक पाल सिंह, जे.)

14.01.2021